राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)

क्रमांक एफ 4(9)आरडी/आरई/एनएलएम/पार्ट-II/08 जयपुर, दिनांक: 15 APR 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक के दायित्व एवं शर्ते।

संदर्भः **इस विभाग के पत्र कमांक एफ 4(9)आरडी/आरई/एनएलएम/2006-07 दिनांक 10.07.2009**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के सफल क्रियान्वयन हेतु पूर्व में इस विभाग के आदेश 4(9) आरडी/आरई/एनएलएम/08 दिनांक 30.06.09 द्वारा राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों का चयन किया गया था तथा इस विभाग के पत्र कमांक एफ 4(9) आरडी/आरई/एनएलएम 2006-07 दिनांक 10.07.09 द्वारा राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक के दायित्व एवं शर्ते जारी की गयी थी उक्त आदेश का अतिक्रमण करते हुए अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक के दायित्व एवं शर्ते निम्नानुसार संशोधित किये जाते है :-

1. **मानदेय :-**

चयिनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक (S.L.O) को योजना की कियान्विति का मॉनीटरिंग, कार्यो का निरीक्षण एवं योजना के कियान्वयन से जुडी शिकायतों का जांच करने हेतु किसी भी जिले में भेजा जा सकता है। पर्यवेक्षक को परिषद द्वारा आवश्यकतानुसार कभी भी कार्य दिया जा सकता है, परन्तु यह भी आवश्यक नहीं है कि परिषद द्वारा राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक को उक्त वर्णित में से कोई कार्य दिया ही जावें। किये जाने वाले कार्य हेतु पर्यवेक्षक के निवास स्थान के पते पर परिषद द्वारा सूचित किया जायेगा। राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक पत्र में वर्णित कार्य को निर्धारित अवधि में संपादित कर परिषद को रिपोर्ट कोरियर डाक द्वारा प्रस्तुत करेंगे। पर्यवेक्षक को माह में अधिकतम **दस दिवस** का मानदेय प्रतिदिन राशि रूपये 1000/- की दर से देय होगा। यह भत्ता कार्य करने दिवस के आधार पर ही देय होगा।

S.L.O. को संबंधित जिले में भ्रमण के दौरान जांच रिपोर्ट के साथ साथ उसी क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम दो ग्राम पंचायतों में, प्रत्येक में दो कार्यो का निरीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पर्यवेक्षक यदि एक ही जिले में दस दिन तक रहता है तो उस दौरान पर्यवेक्षक को दी गयी सभी जांच के साथ साथ उस क्षेत्र में आने वाले कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा) के कार्यालयों का निरीक्षण एवं उस क्षेत्र में आने वाली कम से कम दो ग्राम पंचायतों के कार्यालयों का भी निरीक्षण करेंगे, तथा भ्रमण के पश्चात रिपोर्ट **सात दिवसों** में परिषद को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें। (पर्यवेक्षक को भ्रमण के दौरान निवास स्थान से संबंधित जिले तक तथा संबंधित जिले से निवास स्थान तक की

गयी यात्रा (Journey Period) के दौरान मानदेय भत्ता देय नहीं होगा)। मानदेय हेतू परिषद से कोई अग्रिम राशि देय नही होगी।

2. **यात्रा एवं ठहराव भत्ता देय** :-चयनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों को उक्त पैरा में वर्णित कार्यो हेतु संबंधित जिला में भ्रमण के दौरान निम्नानुसार स्थानीय परिवहन, किराया, भोजन एवं ठहराव भत्ता देय होगा :-

(अ) पर्यवेक्षक के उनके निवास स्थान से संबंधित जिले तक जाने व वापिस निवास स्थान तक आने हेतु वास्तविक बस किराया (डीलक्स बस तक का) या वास्तविक रेल किराया (A.C. II Tier तक का) देय होगा।

(ब) पर्यवेक्षक को भ्रमण के दौरान संभागीय स्तर के जिलों पर राशि रूपये 500/- तथा अन्य जिला स्तर/ब्लॉक स्तर पर राशि रूपयें 400/- प्रतिदिन ठहरने, भोजन व्यवस्था एवं स्थानीय परिवहन सहित (रेल्वे स्टेशन/बस स्टैण्ड से आने जाने) देय होगी।

(स) पर्यवेक्षक को भ्रमण के दौरान ठहरने, भोजन व्यवस्था इत्यादि अधिकतम दस दिवस तक देय होगा।

(द) यात्रा एवं ठहराव हेतु परिषद से कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी।

3. **भ्रमण हेतु वाहन व्यवस्था** :-चयनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों को बिन्दु संख्या 1 में वर्णित कार्यो हेतु संबंधित जिलो में पहुचने के पश्चात भ्रमण के दौरान वाहन की व्यवस्था संबंधित जिले द्वारा की जावेगी जिसके लिए उन्हें भ्रमण करने से पूर्व संबंधित जिला कलैक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद को अग्रिम सूचना देनी होगी, जिससे वह जिले में भ्रमण हेतु वाहन की व्यवस्था कर सकें।

4. **अन्य व्यय प्रतिपूर्ति राशि** :- चयनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों को बिन्दु संख्या 1 में वर्णित कार्यो की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। प्रति शिकायत जांच रिपोर्ट मय दस्तावेज (अनियमितता पाये जाने पर दोषी कर्मचारी/अधिकारी/पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की जावे) के टंकण कराने/फोटोस्टेट कराने/कोरियर/डाक खर्चा हेतु राशि रू. 100/- देय होगी। प्रत्येक शिकायत की जांच रिपोर्ट मय दस्तावेज के तीन प्रति में प्रस्तुत करेगे। ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस कार्यालयों की निरीक्षण प्रति रिपोर्ट की टंकण कराने फोटोस्टेट कराने/कोरियर/डाक खर्चा हेतु राशि रू0 30/- देय होगी। प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट मय दस्तावेज सहित दो प्रति में प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य की निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारुप में टंकण/फोटोस्टेट कराने/कोरियर/डाक खर्चा हेतु राशि रू0 30/- प्रति रिपोर्ट देय होगी तथा दो प्रति में प्रस्तुत करेगें। इस कार्य हेतु परिषद से कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी।

5. **क्लेम बिल प्रस्तुत करना** :-

प्रत्येक राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक संबंधित जिले का भ्रमण समाप्त करने के पश्चात जिले की शिकायतों की जांच रिपोर्ट, ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी नरेगा कार्यालयों के निरीक्षण रिपोर्ट तथा कार्यो की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत के साथ ही मानदेय, यात्रा एवं ठहराव भत्ता तथा अन्य व्यय प्रतिपूर्ति राशि का बिल निर्धारित

प्रारूप में अधिघोषणा के साथ परिषद को प्रस्तुत करेंगे। जिसका भुगतान सत्यापन के आधार पर ही किया जावेगा अन्यथा नहीं।

6. **राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों को चयनित सूची से हटाये जाने के क्रम में :-**

(अ) परिषद द्वारा चयनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों को आवश्यकतानुसार कार्य का आवंटन किया जायेगा। आवश्यकता नही होने पर उन्हे कार्य आवंटन करना आवश्यक नही है।

(ब) बिन्दु संख्या 1 से 4 तक के निर्देशों की अनुपालना में राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कभी भी चयनित सूची से पृथक किया जा सकता है।

(स) परिषद द्वारा चयनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों के संबंध में सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने पर कभी भी चयनित सूची से पृथक किया जा सकता है एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

(द) सेवानिवृत अधिकारी जिनका राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक के रूप में चयन किया है, यदि उनके विरूद्ध हुई सेवा अवधि में किसी कार्यवाही में उन्हें दोषी ठहराया गया है तो परिषद की जानकारी में आने पर उन्हें कभी भी चयनित सूची से पृथक किया जा सकता है।

7. **अन्य शर्ते :-**

अन्य शर्ते एवं निर्देश जो भारत सरकार, राज्य सरकार एवं परिषद द्वारा समय समय पर जारी किये जावेंगे। वे नियमानुसार लागू होंगे।

1/4/10
(तन्मय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद
एवं आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रा.वि.एवंपं राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रा.वि. संस्थान, जयपुर।
6. लेखा शाखा, ईजीएस, जयपुर।
7. संबन्धित श्री ....।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त, प्रथम (ईजीएस)